(ख) क्या उनको नियमित करने के लिये संघ लोक सेवा धायोग द्वारा कोई परीक्षा ध्रायोजित करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (भी ल०ना० मिश्रा): (क) सूचना एकत्रिन की जा रही है भीर सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी।

(खा) जी, नहीं।

Fertilizer Plant in Goa

2004. Shri Vishwa Nath Pandey: Shri Yashpal Singh: Shri Kindar Lai: Shri P. C. Borocah: Shri Himatsingka: Shri Rameshwar Tantia: Shri Sidhoshwar Pramd:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that an agreement has been signed with a private firm for the setting up of a fertilizer plant in Goa; and
 - (b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) A letter of intent has been issued by Government to M/s. Birla Gwalior Private Ltd. for the setting up of a fertilizer plant in Goa with a capacity of 160,000 tonnes of nitrogen per annum.

(b) An agreement has been signed on 21-10-1965 between M/s. Birla Gwalior Private Ltd. and M/s. Armour and Company, USA for financial and technical collaboration in the establishment of the fertilizer factory. M/s. Armour and Company will subscribe equity capital to the extent of 3-88 million. They will make available to the Indian Company (1) the Engineering, manufacturing and marketing data; (2) skills needed to

design, constant and operate the plant as well as to market products; (3) their secret formula, when necessary, to produce compound fertilizers; and (4) the secret process and technology which they now use in the United States.

हिन्दी सहायकों के लिये पृथक संघ

2095- भी विश्वाम प्रसाद : क्यां गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा भ्रायोग ने जून, 1959 में हिन्दी सहायकों की भर्ती के लिये जो परीक्षा की थी उस समय भ्रधिसूचना में यह उल्लेख था कि इन पदों को भ्रभी निःसवर्ग पद बनाया जा रहा है;
- (ख) क्या हिन्दी सहायकों के लिये घव को धलग सवर्ग बनाया जा रहा है या इन पदों को किसी दूसरे संवर्ग में मिलाया जायेगा; ग्रीर
- (ग) उनकी पदोन्नति की क्या संभा— बनाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (की ल० ना मिक्य): (क) जी, हां। प्रधि— सुजना में यह उल्लेख या कि हिन्दी सहायकों के पद केन्द्रीय सिषवालय सेवा योजना से पृथक माने जायेगें। ऐसा इस लिये किया गया या कि उम्मीदवारों के सामने, जो सब पहले ही केन्द्रीय सिषवालय लिपिक सेवा के सदस्य थे, यह बात साफ कर दी जाय कि बाद में केन्द्रीय सिषवालय सेवा में ग्रेड IV (सहायक) में पदोक्षति होने पर उन्हें हिन्दी सहायकों के रूप में निर्वाचन/पदोक्षति के साधार पर कोई विशेष लाभ पाने का प्रधि—कार नहीं होगा।

(बा) जी, नहीं।

(ग) ब्राईता प्राप्त हिन्दी सहायकों को, सिवाय ऐसे मामलों के जहां जनहित के